उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संख्या:- 29 /सत्तर-1-2024-16(74)/2018

लखनऊ :: दिनांक: 03 जनवरी, 2024

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-18 सन् 2023) के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-489/79-वि-1-2023-2-क-20-2023, दिनांक 08.12.2023 तथा उक्त अध्यादेश के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या-601/78-वि-1-2023-1-क-20/2023, दिनांक 08.12.2023 (अधिनियम) की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110001

2- अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति, राजभवन, उत्तर प्रदेश।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

5- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली।

6- सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

7- सदस्य सचिव, बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली-110002

8- रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

9- रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।

10- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

11- कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

12- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

13- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को अधिसूचना परिचालित करने का कष्ट करें तथा विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करें।

14- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

15- निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

16- समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

17- गार्ड फाइल।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या–188

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 नवम्बर, 2023

कार्तिक 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 489 / 79-वि-1–2023-2-क-20-2023

लखनऊ, 8 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1–क) में, खण्ड (ट) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :–

"(ठ) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा;

(ड) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के रूप में जाना जायेगा;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रूप में जाना जायेगा;"।

धारा 50 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1–ज) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(1–झ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1–ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

"(1–झ) जब तक कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

धारा 52 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप धारा (2–छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(2–ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2–झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2–ञ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालाय, बरेली के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में :–

(क) क्रम संख्या–6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"6. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या–

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले

(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिले"

(ख) क्रम संख्या–7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"7. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली–

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना होने तक बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले"

(ग) क्रम संख्या–10 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"10. महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–

(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना होने तक वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर, सोनभद्र जिले;

(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर वाराणसी, चंदौली जिले,"

(घ) क्रम संख्या–13 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"13. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर–

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले

(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले"

(ङ) क्रम संख्या–17 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"18. माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर	बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले

19–माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर), सोनभद्र जिले
20–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले"

कठिनाईयों को दूर किया जाना

6–(1) राज्य सरकार माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर या माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;।

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 489(2)/LXXIX-V-1–2023-2-ka-20-2023
Dated Lucknow, November 8, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 18 of 2023) promulgated by the Governor. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 18 OF 2022)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy-fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:-

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

"(l) a University to be known as Maa Pateswari Devi State University, Balrampur;

(m) a University to be known as Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur;

(n) a University to be known as Uttar Pradesh State University, Moradabad;"

3. In section 50 of the principal Act, after sub-section (1-H), the following sub-sections shall be inserted, namely :-

Amendment of section 50

"(1-I) Until the First Statutes of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under this section, the Statutes of the University of Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-J) Until the First Statutes of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur are made under this section, the Statutes of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-K) Until the First Statutes of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under this section, the Statutes of the Mahatma Joytiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

4. In section 52 of the principal Act, after sub-section (2-G) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :-

Amendment of section 52

"(2-H) Until the First Ordinances of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under sub-section (2), the Ordinances of the Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-I) Until the First Ordinances of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-J) Until the First Ordinances of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under sub-section (2), the Ordinances of the Mahatma Joytiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) for the entries appearing at serial no. 6, the following entries shall *substituted*, namely :-

"6 . Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya -

(i)	Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Bahraich, Barabanki, Gonda and Sultanpur.
(ii)	Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Barabanki, and Sultanpur ."

(b) for the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall *substituted*, namely :-

"7. Mahatma Joytiba Phule Rohilkhand University, Bareilly -

(i)	Until the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur, Moradabad, Bijnor, Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Rampur and Sambhal.
(ii)	Upon the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur."

(c) for the entries appearing at serial no. 10, the following entries shall *substituted*, namely :-

"10. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi -

(i)	Until the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Districts of Varanasi, Chandauli, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Mirzapur, Sonbhadra
(ii)	Upon the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Districts of Varanasi, Chandauli."

(d) for the entries appearing at serial no. 13, the following entries shall *substituted*, namely :-

"13. Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar -

(i)	Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Balrampur, Shravasti, Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar.
(ii)	Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar."

(e) after serial no. 17, the following serial numbers and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:-

"18.	Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Bahraich, Gonda, Balrampur, Shravasti Districts.
19.	Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Mirzapur, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Sonbhadra Districts.
20.	Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal Districts."

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur, or Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur, or Uttar Pradesh State University, Moradabad, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient : Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Ordinance .

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 632 राजपत्र–2023–(1912)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 95 सा0 विधायी–2023–(1913)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

632 RPH 2023 (State Universities) (Addhyadesh) data 1e

क्रम-संख्या—205

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2023

अग्रहायण 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 601 / 79-वि-1—2023-1-क-20-2023
लखनऊ, 8 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन), विधेयक, 2023 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 नवम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 4 में, उपधारा (1—क) में, खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :—

"(ठ) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के रूप में जाना जायेगा;

(ड) एक विश्वविद्यालय जिसे माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के रूप में जाना जायेगा;

(ढ) एक विश्वविद्यालय जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के रूप में जाना जायेगा;।"

धारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1—ज) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :—

"(1—झ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या की परिनियमावली, जैसा कि यह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(1—ञ) जब तक कि इस धारा के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तब तक महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

"(1—ट) जब तक कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की प्रथम परिनियमावली नहीं बना ली जाती है तव तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप धारा (2—छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2—ज) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2—झ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।

(2–ञ) जब तक कि उप धारा (2) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के प्रथम अध्यादेश नहीं बना लिया जाता है तब तक महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित किये जायें।"

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में ,– अनुसूची का संशोधन

(क) क्रम संख्या–6 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"6–डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या–

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा और सुल्तानपुर जिले
(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हो जाने पर	अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और सुलतानपुर जिले"

(ख) क्रम संख्या–7 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"7–महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली–

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना होने तक	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), रामपुर और सम्भल जिले
(दो) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हो जाने पर	बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर जिले"

(ग) क्रम संख्या–10 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"10–महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी–

(एक) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना होने तक	वाराणसी, चंदौली, भदोही (संत रविदास नगर), मिर्जापुर, सोनभद्र जिले;
(दो) माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हो जाने पर	वाराणसी, चंदौली जिले,"

(घ) क्रम संख्या–13 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"13–सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर–

(एक) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले
(दो) माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना होने तक	बस्ती, संत कबीर नगर, महराजगंज और सिद्धार्थ नगर जिले"

(ङ) क्रम संख्या–17 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"18–माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर	बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले
19–माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर	मिर्जापुर, भदोही (संत रविदास नगर), सोनभद्र जिले
20–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद	अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल जिले"

कठिनाईयों को दूर किया जाना

6–(1) राज्य सरकार माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर या माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे उपान्तरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात् नहीं किया जायेगा;।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और वयावृत्ति

7–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,) 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10सन् (1973 अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के अनुसरण में देवीपाटन मण्डल, विन्ध्याचल मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल, प्रत्येक में उच्च शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा में, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर में, माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर; और मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना का उपबंध करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम, में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय) संशोधन (अध्यादेश,2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

791 RPH 2023 (State Univercity) (Adhiniyam) data 1e

No. 601 (2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-20-2023
Dated Lucknow, December 8, 2023

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 7, 2023. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act no. 21 of 2023)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

It is hereby enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2023. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from November 8, 2023.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1-A) *after* clause (k), the following clauses shall be *inserted*, namely:- Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

"(l) a University to be known as Maa Pateswari Devi State University, Balrampur;

(m) a University to be known as Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur;

(n) a University to be known as Uttar Pradesh State University, Moradabad."

3. In section 50 of the principal Act, *after* sub-section (1-H), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :- Amendment of section 50

"(1-I) Until the First Statutes of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under this section, the Statutes of the University of Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-J) Until the First Statutes of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur are made under this section, the Statutes of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(1-K) Until the First Statutes of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under this section, the Statutes of the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

791 RPH 2023 (State Univercity) (Adhiniyam) data 1e

Amendment of section 52

4. In section 52 of the principal Act, *after* sub-section (2-G) the following sub-sections shall be *inserted*, namely :-

"(2-H) Until the First Ordinances of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur are made under sub-section (2), the Ordinances of the Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-I) Until the First Ordinances of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur are made under sub-section (2), the Ordinances of the University of Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide.

(2-J) Until the First Ordinances of Uttar Pradesh State University, Moradabad are made under sub-section (2), the Ordinances of the Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly, as in force immediately before the establishment of the said University, shall apply to it subject to such adaptations and modifications as the State Government may, by notification, provide."

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act,—

(a) *for* the entries appearing at serial no. 6, the following entries shall *substituted*, namely :-

"6. Dr. Ram Manohar Lohiya Awadh University, Ayodhya -

(i)	Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Bahraich, Barabanki, Gonda and Sultanpur.
(ii)	Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Ambedkar Nagar, Ayodhya, Barabanki, and Sultanpur."

(b) *for* the entries appearing at serial no. 7, the following entries shall *substituted*, namely :-

"7. Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly -

(i)	Until the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur, Moradabad, Bijnor, Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Rampur and Sambhal.
(ii)	Upon the establishment of Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Districts of Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur.".

(c) *for* the entries appearing at serial no. 10, the following entries shall *substituted*, namely :-

"10. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi -

(i)	Until the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Districts of Varanasi, Chandauli, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Mirzapur, Sonbhadra
(ii)	Upon the establishment of Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Districts of Varanasi, Chandauli."

(d) *for* the entries appearing at serial no. 13, the following entries shall *substituted*, namely :-

"13. Siddharth University, Kapilvastu, Siddharth Nagar -

(i)	Until the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Balrampur, Shravasti, Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar.
(ii)	Upon the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Districts of Basti, Sant Kabir Nagar, Maharajganj and Siddharth Nagar."

(e) *after* serial no. 17, the following serial numbers and entries relating thereto shall column-wise be *inserted*, namely:-

"18.	Maa Pateswari Devi State University, Balrampur.	Bahraich, Gonda, Balrampur, Shravasti Districts.
19.	Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur.	Mirzapur, Bhadohi (Sant Ravidas Nagar), Sonbhadra Districts.
20.	Uttar Pradesh State University, Moradabad.	Amroha (Jyotiba Phule Nagar), Bijnor, Moradabad, Rampur, Sambhal Districts."

Power to remove difficulties

6. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in relation to the establishment of Maa Pateswari Devi State University, Balrampur, or Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur, or Uttar Pradesh State University, Moradabad, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature , as soon as may be, after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 18 of 2023

7. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

791 RPH 2023 (State Univercity) (Adhiniyam) data 1e

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) has been enacted to amend and consolidate the laws relating to certain Universities in the State of Uttar Pradesh.

The Government of Uttar Pradesh has set a vision of establishing one State University in each division to provide quality higher education. In pursuance of this goal, there was a need to establish one State University each in Devipatan division, Vindhyachal division and Moradabad division to ensure availability of higher education.

In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act to provide for the establishment Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur in Devipatan division, Gonda; Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur in Vindhyachal division, Mirzapur; and Uttar Pradesh State University, Moradabad in Moradabad division, Moradabad.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2023 (U. P. Ordinance no. 18 of 2023) was promulgated by the Governor on 8th November, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 791 राजपत्र–2023–(2264)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 142 सा० विधायी–2023–(2265)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
791 RPH 2023 (State Univercity) (Adhiniyam) data 1c